

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गिरधारी लालपुरा

176/2021

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का हिंगोनिगा
व भू.अ.नि. वृत्त तामड़िया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चाकसू /नायब
तहसीलदार चाकसू की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्री लहापपुरा तहसील चाकसू व जिला
जयपुर की जमाबंदी सम्वत् 2076-78 में खाता संख्या 16
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	श्री लहापपुरा	16	रामू पुत्र मूलचन्द	रामू उर्फ राम लाल पुत्र मूलचन्द

क्रमांक:- राजस्व/2021/3824
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील चाकसू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री रामू उर्फ राम लाल पुत्र मूलचन्द को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिविलोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
दि 17.12.2021

शिविर लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू जयपुर।